सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की षष्टम् बैठक दिनाँक 19 जुलाई, 2014 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की षष्टम् बैठक दिनाँक 19 जुलाई, 2014 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति, — अध्यक्ष
2. श्री रणवीर सिंह चिकारा, लाइव स्टाक ब्रीडर — सदस्य
3. श्री पारस नाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
4. श्री रामचन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि) — सदस्य
5. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक — सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्त समिति को विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ करने के लिये किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी देने के उपरान्त बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 6.1: वित्त समिति की पंचम बैठक दिनाँक 10 फरवरी, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 10 फरवरी, 2014 को सम्पन्न पंचम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 6.2: वित्त समिति की पंचम बैठक दिनाँक 10 फरवरी, 2014 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 10 फरवरी, 2014 को सम्पन्न पंचम बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

19/7/14 19/7/14

प्रस्ताव संख्या 6.3: वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुए तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियाँ की जायें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वित्त समिति को अवगत कराया जाये। बैंक समाधानीकरण विवरण तथा अग्रिम के पृष्ठ संख्या–5 पर दिनाँक 27 अप्रैल, 2005 को धनराशि रू0 16,800.00 का नकद जमा न पाया जाना अंकित है। यह प्रकरण काफी गम्भीर है। सम्बन्धित कार्मिक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 6.4: वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षण लेखा शीर्ष, फार्म लेखा शीर्ष, आई0सी0ए0आर0 विकास निधि, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण/अनुरक्षण कार्यः–

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षण लेखा शीर्ष, फार्म लेखा शीर्ष, आई0सी0ए0आर0 विकास निधि, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण/अनुरक्षण हेतु उपलब्धता के आधार पर कुल धनराशि रू0 47552178.00 के कार्यों के लिए मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (निर्माण))

प्रस्ताव संख्या 6.5: पत्थर की कलाकृतियों (म्यूरल्स) तथा पौधों द्वारा बनायी गयी आकृतियों (टोपएयरी) की संरचना/स्थापना

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में विभिन्न स्थानों, महाविद्यालयों एवं अन्य भवनों में तथा उनके आस–पास कृषि एवं पशु विज्ञान सम्बन्धी पत्थर की कलाकृतियों (म्यूरल्स) तथा पौधों एवं पशु–पक्षियों की आकृतियों (टोपएयरी) की संरचना एवं स्थापना हेतु अनुमानित लागत धनराशि रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) का व्यय शिक्षण मद से वहन करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः विभागाध्यक्ष, उद्यान/वित्त नियंत्रक)

19/7/15 — 19/7/14

प्रस्ताव संख्या 6.6: विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पार्क की स्थापना

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में मौलिक एवं मानविकी विज्ञान महाविद्यालय तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के बीच स्थित तथा वर्तमान में अप्रयोज्य पड़ी भूमि पर एक केन्द्रीय पार्क की स्थापना हेतु प्रथम चरण में धनराशि रू0 25 लाख व्यय की स्वीकृति शिक्षण मद से करने के प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की गयी कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु पूर्व में अनुमोदित आय–व्ययक में धन की उपलब्धता होने पर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाई: विभागाध्यक्ष, उद्यान / वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 6.7: विश्वविद्यालय के कृषक प्रशिक्षण छात्रावास के लिए कमरों की नई दरें एवं नाश्ते / भोजन की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

निर्धारित की गयी दरों का अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाई: निदेशक प्रसार)

प्रस्ताव संख्या 6.8: कार्यदायी संस्थाओं पर असमायोजित अग्रिम

वित्त समिति द्वारा अवशेष धनराशि रू0 2602595447.00 के अभी तक समायोजित न करने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा उक्त धनराशि को शीघ्र समायोजन हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु कार्रवाई में देरी करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों तथा शासन को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाये।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 6.9: वित्त नियंत्रक कार्यालय में नागरिक चार्टर लागू किया जाना।

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक कार्यालय में जारी नागरिक चार्टर का अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इसी प्रकार अन्य विभागों के लिए भी शीघ्र नागरिक चार्टर लागू करने का प्रयास किया जाये।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

19/7/14

19/7/14

प्रस्ताव संख्या 6.10: विश्वविद्यालय में ई–ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को "पेपरविहीन" किये जाना

विश्वविद्यालय में एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित ई–ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को **"पेपरविहीन"** किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 6.11: विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाना।

कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत धनराशि रू0 3.00 लाख पूर्व स्वीकृति से अतिरिक्त स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी, लैंड स्केपिंग / वित्त नियंत्रक)

19/7/14
(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक / सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

18/7/14
(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति / अध्यक्ष